



प्रेस विज्ञप्ति

27.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई जोनल ऑफिस ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटाले के सिलसिले में दो मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध को कोलकाता में पकड़ा गया, जबकि दूसरे व्यक्ति को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने देश से भागने की कोशिश की थी। दोनों संदिग्धों ने अवैध खातों के प्रबंधन, अवैध नकदी को क्रिप्टोकॉरेंसी में परिवर्तित करने और इसे विदेशों में स्थानांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

यह मामला चेन्नई पुलिस में एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी से उपजा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि घोटालेबाजों ने उसे 33 लाख रुपये का धोखा दिया। पीड़ित को झूठे आरोपों और "डिजिटल गिरफ्तारी" की संभावना के साथ धमकी दी गई थी। ईडी की जांच में फर्जी धन को रूट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले स्तरित अवैध बैंक खातों के एक नेटवर्क का पता चला।

ईडी ने पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 30 से अधिक स्थानों पर व्यापक तलाशी ली। तलाशी के दौरान, कई मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए, जिनमें पर्याप्त सबूत थे। बीटीसी और यूएसडीटी के रूप में क्रिप्टोकॉरेंसी भी मिली और जब्त कर ली गई।

ईडी की जांच में एक परिष्कृत प्रणाली का पता चला जिसमें अवैध खातों से निकाली गई नकदी को क्रिप्टोकॉरेंसी में परिवर्तित किया गया और विदेश में स्थित होने के संदेह वाली संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया। विभिन्न डिजिटल धोखाधड़ी योजनाओं से उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण मात्रा में धन इस पद्धति के माध्यम से भेजा गया था।

इसके अतिरिक्त, आरोपियों ने फिनटेक सेवाओं की पेशकश करने वाली कंपनियों के बैंक खातों में नकदी जमा करने के लिए कैश डिपॉजिट मशीनों (सीडीएम) का दुरुपयोग किया। इन फंडों को तब व्यक्तिगत खातों में भेजा गया था, जिससे आरोपी को क्रिप्टोकॉरेंसी प्राप्त करने में सक्षम बनाया गया था। इस क्रिप्टोकॉरेंसी का इस्तेमाल कथित तौर पर विदेशी फोन नंबरों का उपयोग करके सहयोगियों की सहायता से अपराध की आय (पीओसी) को छिपाने और विदेश में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

ईडी ने कई फिनटेक कंपनियों द्वारा बड़ी खामियों का भी खुलासा किया, जो नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों का पालन करने में विफल रहीं और फर्जी संस्थाओं और व्यक्तियों से नकद जमा स्वीकार किया। सैकड़ों करोड़ रुपये की ये नकदी जमाओं पर डिजिटल अपराधों से उत्पन्न दूषित धन होने का संदेह है। इन फिनटेक कंपनियों, उनके वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और संबद्ध बैंक खातों की भूमिका की जांच की जा रही है। आगे की जांच प्रगति पर है।